

- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थीयो ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				रवीकृत किया गया नया इन्द्राज		
क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीराम पुत्र सुंदराम श्रीम लाल सा. देह खोदेहा	729 115 730 283	19-04 6-04	श्रीराम पुत्र सुंदराम श्रीम लाल सा. देह खोदेहा	729 115 730 283	19-04 6-04
2.	श्रीराम पुत्र सुंदराम श्रीम लाल सा. देह खोदेहा एडी खाला बरसुट	125 731 115 732 283	6-09 1-01 0-16	श्रीराम पुत्र सुंदराम श्रीम लाल सा. देह खोदेहा एडी खाला बरसुट	125 731 115 732 283	6-09 1-01 0-16

क्रमांक : 62

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना

दिनांक : 25/1/20

क्रमांक :

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवारी हल्का शाहिदा को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना

दिनांक :

तहसीलदार डीडवाना

